

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2024—फाल्गुन 7, शक 1945

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2024

क्र. एफ 1-5-5-0017-2023-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए ऊर्जा विभाग की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 288, दिनांक 31 मई 2022 में किया गया उक्त अधिसूचना में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड अंतर्गत वाहन चालक के सीधी भर्ती के स्वीकृत कुल 11 पदों में से दिव्यांगजनों हेतु 01 पद दृष्टिबाधित श्रेणी में पूर्व से चिन्हांकित है. दृष्टिबाधित श्रेणी में वाहन चालक के चिन्हांकित उक्त 01 पद को कनिष्ठ शीघ्र लेखक के पद पर दृष्टिबाधित और कम दृष्टि श्रेणी में परिवर्तित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प, अपर सचिव.